

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2014/ पौष 1, 1936

No. 683]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2014/PAUSHA 1, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 16 दिसम्बर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात)

(दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2014

सा. का. नि. 907(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 6/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(बी) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 6/2000-आरबी) में, विनियम 8 में, मौजूदा उप-विनियम (i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों (दोनों में से किसी भी स्थिति में 100 रुपये से अधिक के मूल्यवर्गों के नोटों को छोड़कर) को भारत से नेपाल अथवा भूटान को ले जा सकता है अथवा भेज सकता है:

बशर्ते यह कि भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाला व्यक्ति 500 रुपए और/अथवा 1000 रुपए मूल्यवर्ग के भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोटों को रु. 25,000/- की उच्चतम सीमा तक साथ में ले जा सकता है।

[सं. फेमा. 331/2014-आर बी]

बी.पी.कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

मूल विनियमावली 5 मई 2000 के सा.का.नि. सं. 389(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:

- (ए) 21 मार्च 2001 के सा.का.नि. सं. 201(अ)
- (बी) 24 जुलाई 2009 के सा.का.नि. सं. 548(अ)
- (सी) 12 जुलाई 2013 के सा.का.नि. सं. 480(अ)
- (डी) 12 जून 2014 के सा.का.नि. सं. 399(अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th December, 2014

Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency)

(Second Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 907(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 6/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

1. Short title and commencement.—

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Second Amendment) Regulations, 2014.
- (b) They shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations.—

In the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 6/2000-RB dated May 3, 2000), in Regulation 8, for the existing sub- regulation (1), the following shall be substituted, namely:—

“take or send out of India to Nepal or Bhutan, currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes (other than notes of denominations of above Rs.100/- in either case):
provided that an individual travelling from India to Nepal or Bhutan can carry Reserve Bank of India currency notes of denomination Rs.500/- and/or Rs.1000/- up to a limit of Rs.25000/-”.

[No. FEMA 331/2014-RB]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 389(E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended vide:

- (a) G.S.R. 201(E), dated March 21, 2001
- (b) G.S.R. 548(E), dated July 24, 2009
- (c) G.S.R. 480(E), dated July 12, 2013
- (d) G.S.R. 399(E), dated June 12, 2014